Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में राजस्व पटवारी एवं उसका दलाल 30 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *25 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा आज मंगलवार को पाली में कार्यवाही करते हुये कमल किशोर पटवारी हल्का–पाली–द्वितीय, जिला पाली को उसके दलाल चिकूराम सांसी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि एस.डी.एम. कोर्ट के फैसले की पालना में रिकार्ड दुरूस्तीकरण करने की एवज में कमल किशोर पटवारी हल्का–पाली–द्वितीय, जिला पाली द्वारा अपने दलाल चिकूराम सांसी (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 30 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा पाली में ट्रेप कार्यवाही करते हुये कमल किशोर पुत्र श्री ताराचन्द दर्जी निवासी मकान नं0 240, आशापुरा नगर, खोड़ेपुरा बालाजी रोड़, पाली हाल पटवारी हल्का–पाली–द्वितीय, जिला पाली एवं उसके दलाल चिकूराम सांसी पुत्र श्री बन्नाराम सांसी निवासी सांसी बस्ती, नया गांव, पुलिस थाना ट्रांसपोर्टनगर, जिला पाली (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 30 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।